

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
फिरोजाबाद।

सेवामें,

प्रबन्धक,

सिटी पब्लिक स्कूल

बटेश्वर रोड शिकोहाबाद फिरोजाबाद।

पत्रांक/वोलि० :- 7639-40 /98-99/

दिनांक - 26.3.99

विषय:- प्राथमिक विद्यालयको अस्थायी मान्यता के नवीनीकरण सम्बन्ध में।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्रांक : मान्यता/7116-18 /97-93 दिनांक 26.2.98 द्वारा आपके विद्यालय को अस्थायी मान्यता सत्र 97-98 तक के लिये दी गयी थी। शासनादेश संख्या 1873/15-6-98-18एम(7)/89 दिनांक 10 सितम्बर 1998 के अलोक में मान्यता समिति द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 26.3.99 के सन्दर्भ में निम्नलिखित प्रतिबन्ध के साथ नवीनीकरण किया जाता है।

- 1-सोसायटी के पंजीकरण का नवीनीकरण अवधि समाप्त होने से पूर्व कराये।
- 2-नियमानुसार भवन/खेल का मैदान आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- 3-विभाग द्वारा स्वीकृत शुल्क लिया जाय तथा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाय।
- 4- विभागीय अधिकारियों को विद्यालय निरीक्षण में अपेक्षित सहयोग किया जाय।
- 5- प्रथम मान्यता निर्गत होने के उपरान्त 5 साल में स्थायी मान्यता लेना अनिवार्य है अन्यथा मान्यता स्वतः निरस्त हो जायेगी।

किसी भी तथ्य/तथ्यों को छिपाये जाने की जानकारी होने पर अथवा विभागीय निर्देशों/नियमों का पालन करते न पाये जाने पर मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार विभाग को सुरक्षित होगा।

भक्तदीप

(मलखान सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फिरोजाबाद

पुष्पांकन सं०/

/98-99/

दिनांक वही

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-जिला समाज कल्याण अधिकारी फिरोजाबाद
- 2-उप बेसिक शिक्षा अधिकारी फिरोजाबाद।

अ. उ. प्रकाश

MANAGER

City Public School
Bateshwar Road, Shikohbad
(Firozabad)

(मलखान सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फिरोजाबाद

PRINCIPAL

City Public School
Bateshwar Road, Shikohbad
(Firozabad)

प्रेषक,
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
फिरोजाबाद।
सेवामें,
सिटी पब्लिक स्कूल
बटेश्वर रोड शिकोहाबाद।
.....

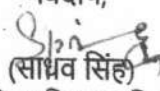
पत्रांक :- 7/04-08 / मान्यता / 2004-2005 / दिनांक - 17-1-05

विषय- विद्यालय को स्थाई मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में (प्राथमिक स्तर)

महोदय,

आपके आवेदन पत्र पर अधीक्षक निरीक्षक वर्ग की संस्तुति के आधार पर मान्यता समिति की बैठक दिनांक-10/01/05 में लिये गये निर्णयानुसार आपके विद्यालय को स्थाई मान्यता निम्न प्रतिबन्धों के साथ दी जाती है:-

1. विभागीय नियमों व निर्देशों का पालन न करने पर मान्यता प्रत्याहरण करने का अधिकार विभाग को सुरक्षित रहेगा।
2. विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाये तथा निर्धारित शुल्क लिया जाये।
3. सोसाइटी का नवीनीकरण अवधि समाप्ता होने से पूर्व अवश्य कराये।
4. निरीक्षण के समय विभागीय अधिकारियों को पूर्ण सहयोग दें।
5. विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जायेगा।
6. सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक पढ़ाई जायें।

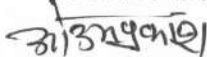
भवदीय,

(साधव सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फिरोजाबाद

पृष्ठांक सं० / मान्यता / 2004-2005

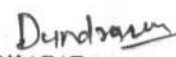
दिनांक उक्त

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) आगरा।
2. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, फिरोजाबाद।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी, फिरोजाबाद।
4. सम्बन्धित नगर शिक्षा अधिकारी/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद फिरोजाबाद।


MANAGER
City Public School
Bateshwar Road, Shikohbad

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फिरोजाबाद।


PRINCIPAL
City Public School
Bateshwar Road, Shikohbad